HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endorsement No. C/2922 Jabalpur, dated 1../04/2024
III-6-4/72

Copy of the notification No. 668-1931237-24-50-2 dated 07-03-2024 of the Government of M.P., Department of Women & Child Development issued as per the provisions of Section 4 (1) and (2) of the Juvenile Justice Act, 2015 (excerpted from Gazette of M.P. dated 22.03.2024), is forwarded to;

1. The Registrar cum PPS of Honourable Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judge, Dewas for information and necessary action with request that the order may kindly brought to the knowledge of the concerned Judge also;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information.

01/04/2024

(RUPAM VEDI)
REGISTRAR (Works & Infrastructure)

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2024

क्र. 668-1931237-24-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	देवास	देवास	सुश्री अंजना यादव, JMFC

No. 668-1931237-24-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015, the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dewas	Dewas	Sushri Anjana Yadav, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. 683-1784165-2023-पचास-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, किशोर न्याय नियम के नियम 87 के तहत माननीय न्यायाधीश श्रीमती नंदिता दुबे (सेवानिवृत्त) को किशोर न्याय बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत करता है.

अजय कटेसरिया, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. UDH-7-0001-2024-अठारह-5.—मंत्रि-परिषद् आयटम क्रमांक 9 दिनांक 14 मार्च 2024 के अनुक्रम में, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 76 के अंतर्गत विद्यमान चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को तत्काल प्रभाव से विघटित करता है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-38 के अंतर्गत ''चित्रकूट विकास प्राधिकरण'' की स्थापना की स्वीकृति दी जाती है.

3. चित्रकूट विकास प्राधिकरण में पदों के सृजन के संबंध में वित्त विभाग से पृष्ठांकन उपरांत पृथक् से आदेश जारी किया जावेगा.

4. चित्रकूट विकास प्राधिकरण के सुचारू रूप से कार्य संचालन हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान राशि रुपये 20.00 करोड़ (बीस करोड़) मात्र का बजट प्रावधान नियमानुसार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.